

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 41/11

संस्थापन दिनांक:-22/02/11

फाईलिंग नं. 233504000482011

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

फदली उर्फ रायसिंग पिता बहादुर सिंह

उम्र 35 वर्ष, निवासी बघवाड़ा,

थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 23.11.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 18.01.2011 को करीब 2 बजे आरक्षी केंद्र आमला जिला बैतूल के अंतर्गत बघवाड़ जोड़ पुलिया के पास रोड पर मेसी ट्रैक्टर क. एमपी-48-ए-3779 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित करते हुए मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त ट्रैक्टर को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित करते हुए उसमें लगी ट्राली को पलटा दिया जिसके पलटने से सूचनाकर्ता अनिल को गंभीर उपहति कारित हुई।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फदियादी दिनांक 18.01.2011 को दोपहर करीब 2 बजे मजदूरों के साथ बघवाड़ जोड़ पर पुलिया पर बैठे थे। तभी आमला तरफ से एक ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को बड़ी तेजी एवं लापरवाही से चलाते लाया और पुलिया के पास गन्ने से भरी ट्राली पलटा दी जिससे उसके पैर के उपर ट्राली पलटने से उसके बांये पैर के टखने के पास चोट आयी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी सूचना के आधार पर अस्पताल चौकी बैतूल में मेसी ट्रैक्टर लाल रंग के चालक फदली राजपूत के विरुद्ध अपराध क. 07/11 धारा 279, 337 भा.दं.सं. में प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध कर असल कायमी हेतु थाना आमला भेजा गया। थाना आमला में मेसी ट्रैक्टर के चालक फदली के विरुद्ध असल अपराध क. 19/11 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा

बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से मेसी कंपनी का ट्रैक्टर क्र. एमपी-48-ए-3779 मय ट्राली के जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आहत की एक्सरे रिपोर्ट में फेक्चर पाये जाने से अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर मेसी ट्रैक्टर क्र. एमपी-48-ए-3779 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित करते हुए मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित करते हुए उसमें लगी ट्राली को पलटा दिया जिससे सूचनाकर्ता अनिल को गंभीर उपहति कारित हुई ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष

5 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6 अनिल (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह और सालकराम पिल्लर पर बैठे हुए थे तभी अभियुक्त फदली ट्रैक्टर को तेजी से लाकर मोड़ पर काटा जिससे कि वह पुल से कूद गया जिससे उसका बांया पैर टूट गया था। सालकराम (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह बैठे हुए थे। ट्राली के चालक फदली ने एकदम से स्टेरिंग काट दिया तो उसमें रखा गन्ना अनिल के पैर में लग गया जिससे उसका पैर टूट गया। हरि (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि वह घटना स्थल के पास खड़ा

था तभी अभियुक्त फदली ने तेज गति से ट्रैक्टर लाया, ट्रैक्टर पलट गया और अनिल को लग गया जिससे उसके पैर में चोट आ गयी थी।

7 डॉ. ए.के. पांडे (अ.सा.-8) ने दिनांक 18.01.2011 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत अनिल का परीक्षण किये जाने पर आहत के बांये पंजे पर सामने की ओर एक फैली हुई सूजन एवं दर्द था जिसके लिए उसने आहत को अस्थिरोग विशेषज्ञ से जांच की सलाह दी थी एवं आहत के बांये हाथ पर एक एवरेंजन 3/4 इंच गुणा 1/4 इंच आकार का पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 को प्रमाणित किया है।

8 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-2) ने दिनांक 19.01.2011 को जिला चिकित्सालय बैतूल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ रहते हुए डॉ. बाजपेयी द्वारा पुरुष सर्जिकल वार्ड से आहत अनिल को बांयी पिंढली और पैर के एक्सरे के लिए भेजा जाना जिसका प्लेट क्र. 457 के एक्सरे में बांयी फिबुला हड्डी के नीचले तिहाई हिस्से में फेक्चर पाया जाना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी डॉ. ए.के. पांडे (अ.सा.-8), साक्षी अनिल (अ.सा.-4), सालकराम (अ.सा.-5), हरि (अ.सा.-6) के कथनों से आहत अनिल को घटना में चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

9 सुरेंद्र वर्मा (अ.सा.-7) ने दिनांक 18.01.2011 को पुलिस चौकी जिला चिकित्सालय बैतूल में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को जिला चिकित्सालय से आहत अनिल की सड़क दुर्घटना से चोट आने की प्रदर्श पी-6 की तहरीर प्राप्त होने पर दिनांक 22.01.2011 को अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 07/11 में प्रदर्श पी-4 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

10 बसंत मिरासे (अ.सा.-9) ने दिनांक 18.01.2011 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अस्पताल चौकी बैतूल से अपराध क्र. 07/11 की एफआईआर प्राप्त होने पर थाने में असल अपराध क्र. 19/11 में प्रदर्श पी-9 का अपराध पंजीबद्ध किया जाना प्रकट करते हुए उसे प्रमाणित किया है।

11 शिवराम यादव (अ.सा.-10) ने दिनांक 28.01.2011 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 19/11 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मौके पर जाकर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-5) तथा दिनांक 21.02.2011 को अभियुक्त से

मैसी कंपनी का ट्रैक्टर क. एमपी-48-ए-3779 मय कागजात जप्त कर (प्रदर्श पी-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा फरियादी एवं आहतगण अपने कथनों पर स्थिर नहीं हैं। किसी भी साक्षी ने अभियुक्त के द्वारा लापरवाही और उपेक्षा से वाहन चालाया जाना नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में सूरत (अ.सा.-1), ओझा (अ.सा.-3) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है परंतु उपर्युक्त साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन के समर्थन में साक्षीगण ने कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। फलतः उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14 अनिल (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय बघवाड़ जोड़ पर वह और सालकराम पिल्लर पर बैठे हुए थे। अभियुक्त फदली ने ट्रैक्टर को तेज गति से मोड़ पर काटा जिससे ट्रैक्टर उसके पास में आ गया और वह पुल से कूद गया जिससे उसके बांये पैर और हाथ पर चोट आ गयी थी। सालकराम (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह, अनिल और अन्य लोग पिल्लर पर बैठे हुए थे। उसी समय एक ट्राली बहुत स्पीड से आयी और ट्राली के चालक फदली ने एकदम से स्टेरिंग काट दिया। ट्राली देखकर वह आगे भागा लेकिन ट्राली में रखा गन्ना अनिल के पैर में लग गया जिससे उसका पैर टूट गया था। हरि (अ.सा.-6) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना स्थल के पास सालकराम और अनिल के साथ खड़ा था। तभी अभियुक्त फदली ने ट्रैक्टर तेज गति से लाया। ट्रैक्टर पलटा और उनके उपर आ गया। वह आगे बढ़ गया लेकिन ट्रैक्टर अनिल को लग गया जिससे अनिल को चोट आ गयी थी। अभियुक्त फदली की गलती से दुर्घटना हुई थी। यदि धीरे चलाता तो दुर्घटना नहीं होती।

15 अनिल (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसकी अभियुक्त से कोई दुश्मनी नहीं है। अभियुक्त ने जानबूझकर तेजी व लापरवाही से वाहन नहीं चलाया था। दुर्घटना ट्रैक्टर पलटने से हो गयी थी। अचानक

गाड़ी पलटी। जैसे ही ट्रैक्टर ट्राली को पलटते हुए देखा वह पुलिया से कूदकर भागने लगा तभी उसके उल्टे पैर में चोट आ गयी थी। अभियुक्त अपने साईड से वाहन चला रहा था। वाहन तेजी और लापरवाही से नहीं चल रहा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि वह ट्रैक्टर चालक को नहीं जानता है। कौन गाड़ी चला रहा था वह नहीं जानता है। स्वतः कहा कि ट्रैक्टर मालिक का भांजा चलाता है उसी ने चालक का नाम बताया था। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त की गलती से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी।

16 सालकराम (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह अपने दोस्त अनिल के साथ बातचीत कर रहा था। वाहनों का आना जाना चल रहा था। वह बातचीत में लगा हुआ था इसलिए घटना होते नहीं देखी। इस सुझाव को सही बताया है कि घटना अचानक हुई थी। घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता। अनिल को चोट स्वयं की लापरवाही से लगी थी। घटना के समय वाहन कौन चला रहा था वह देख नहीं पाया था। हरि (अ.सा.-6) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह पुलिया पर अनिल के साथ बैठा हुआ था। सभी लोगों की बातचीत चल रही थी। बातचीत के दौरान वह घटना घटित होते नहीं देख पाया था। वाहन के चालक को भी नहीं देख पाया था।

17 अनिल (अ.सा.-4) जो कि प्रकरण में आहत है। साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त जानबूझकर वाहन को तेजी और लापरवाही से नहीं चला रहा था। अचानक ट्रैक्टर पलट गया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि ट्रैक्टर चालक को वह नहीं पहचानता है। गाड़ी कौन चला रहा था यह भी नहीं जानता। सालकराम (अ.सा.-5) ने यह बताया है कि आहत अनिल को स्वयं की लापरवाही से चोट लगी थी। वाहन के चालक और घटना घटित होते वह देख नहीं पाया था। हरि (अ.सा.-6) ने भी घटना न देखा जाना और वाहन चालक को भी न देखा जाना बताया है। जबकि उपर्युक्त सभी साक्षीगण ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त फदली के द्वारा वाहन ट्रैक्टर को चलाया जाना बताया है परंतु किसी भी साक्षी ने अभियुक्त के द्वारा वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाया जाना नहीं बताया है तथा प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त सभी साक्षीगण ने घटना के समय वाहन चालक को न देखा जाना बताया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में उपलब्ध साक्ष्य से यह निश्चायक रूप से नहीं कहा जा सकता कि घटना के समय वाहन ट्रैक्टर को अभियुक्त फदली ही चला रहा था। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि वाहन अभियुक्त ही चला रहा था तब भी अभियुक्त के द्वारा वाहन उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने के संबंध में साक्ष्य का नितांत अभाव है। अतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त

फदली उर्फ रायसिंग के द्वारा घटना दिनांक को वाहन ट्रेक्टर क. एमपी-48-ए3779 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर दुर्घटना कारित की जिससे आहत अनिल को घोर उपहति कारित हुई।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

18 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मेसी ट्रेक्टर क. एमपी-48-ए-3779 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित करते हुए मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त ट्रेक्टर को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित करते हुए उसमें लगी ट्राली को पलटा दिया जिसके पलटने से सूचनाकर्ता अनिल को गंभीर उपहति कारित हुई। फलतः अभियुक्त फदली उर्फ रायसिंग को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20 प्रकरण में जप्तशुदा लाल रंग का मेसी ट्रेक्टर क. एमपी-48-ए-3779 मय ट्राली के आवेदक/सुपुर्ददार बहादुर सिंह पिता हरेसिंह राजपूत निवासी बघवाड़ थना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

21 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)